FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0144 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/06/2026 17:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 31/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:02 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/06/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/06/2026 17:56:54 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** JAI SHRI MAHAKAL JUICE CENTAR, FCI GODAM KE SAMNE,, KOTA ROAD, BARAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJENDRA GOCHAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KANHAIYALAL GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SAROLA, SANGOD, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SAROLA, SANGOD, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHANDRAPRAKASH		पिता:DALURAM BAIRWA	1. GANESH JI KI GALI, LASHKARI MOHALLA,CHHOTA SOGRIYA,LADPURA,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि ब्यूरो मुख्यालय के हेल्प लाईन नंबर 1064 से परिवादी राजेन्द्र गोचर से सम्पर्क कर ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाने पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर पुत्र कन्हैया लाल उम्र 29 साल निवासी सारोला तहसील सागोद जिला कोटा के मोबाईल नंबर पर अपने मोबाईल नंबर से कॉल कर परिवादी को कार्यालय में तलब किया गया। जिस पर दिनांक-25.05.2026 समय-11.00AM पर परिवादी राजेन्द्र गोचर कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां को एक लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड, अपने ट्रेक्टर आरजे 33 आरए 4915 महेन्द्रा 575 DI की आरसी की प्रति के साथ पेश किया। परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरयाफ्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "मैं ग्राम सारोला तहसील सांगोद जिला कोटा का रहने वाला हूं तथा वर्तमान में बारां में होण्डा शोरूम के पीछे विद्या कॉलोनी कोटा रोड बारां में किराये से रहता हूं। मैं ट्रेक्टर से बजरी परिवहन व किराये आदि का कार्य करता हूं। मैं 2-3 दिन पहले मांगरोल से बारां बजरी लेकर आ रहा था। रास्ते में मेरा ट्रेक्टर खराब हो गया । इसी दौरान श्री चन्द्रप्रकाश टीआई साहब आये और ट्रेक्टर को जप्त करने की धमकी देकर तुरन्त रिश्वत की मांग कर 27000 रूपये मुझसे लेकर मेरा ट्रेक्टर छोड दिया तथा अब मेरे ट्रेक्टर को बेरोकटोक चलाने के बदले 10000 रूपये की बंधी मांग रहे है, नहीं देने पर दोबारा ट्रेक्टर को जप्त करने की धमकी दे रहे है। दिनांक 24.05.26 को 7.30PM पर मोबाईल नंबर से फोन कर रिश्वत राशि की मांग की तथा ट्राफिक कार्यालय में बुलाया है। मैं टीआई साहब चन्द्रप्रकाश को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं बल्कि उन्हें रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी चन्द्रप्रकाश जी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमारे बीच में कोई उधारी का लेन देन शेष है। कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया गया है। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन की कहने पर परिवादी ने अवगत कराया कि आरोपी से हुई वार्ता अनुसार उसका जब मुझे फोन आयेगा मैं आपको बता दूंगा। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी का फोन आने पर ही सत्यापन वार्ता हो सकेगी। परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने तथा फोन आने पर अवलिम्ब सूचित करने की हिदायत कर रूकसत किया। दिनांक 26.05.2026 समय 10.30AM पर परिवादी राजेन्द्र गोचर कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि अभी 10 बजकर 16 मिनट पर मेरे मोबाईल नंबर पर टीआई साहब के मोबाईल नंबर से फोन आया है तथा मुझे प्रताप चौकी पर बुला रहे है। परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत मांग का सत्यापन करवाना आवश्यक होने पर श्री विक्रम सिंह कानि 23 को बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस के कब्जे सरकारी आलमारी से सोनी कंपनी का डीवीआर निकालकर उसमें नया मेमोरी कार्ड केडीएम 8GB लगाया। परिवादी को डीवीआर ऑपरेट करने की विधि समझाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डीवीआर में रिकॉर्ड करने की समझाईश की। श्री विक्रम सिंह कानि. 23 को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन से पूर्व डीवीआर चालू कर परिवादी को देने, निगरानी करने तथा वार्ता के बाद डीवीआर को बन्द कर परिवादी के साथ वापस आकर डीवीआर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द करने की हिदायत देकर परिवादी को उसकी मोटर साइकिल से तथा विक्रमसिंह कानि. को अन्य मोटर साईकिल से रवाना किया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डीवीआर तैयार की गई। समय 11.30AM पर श्री विक्रम सिंह कानि. 23 मय परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री विक्रम सिंह जी के साथ श्रीराम स्टेडियम बारां पहुंचा। जहां से श्री विक्रम सिंह जी ने सत्यापन हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर मुझे प्रताप चौक के लिये रवाना कर दिया था तथा मेरे साथ आये विक्रम सिंह जी प्रताप चौक पर आकर खडे हो गये थे। मैं प्रताप चौकी के बाहर बैठे चन्द्रप्रकाश जी के पास पहुंचा तथा उनसे मेरी वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने मुझसे 10000 रूपये की मांग की। मेरे द्वारा निवेदन करने पर कल 7000 रूपये लाने की कहा है। वार्ता के बाद मैं श्री विक्रमसिंह जी के पास पहुंचा जिन्होंने डीवीआर को बन्द किया। इसके बाद हम दोनों रवाना होकर आपके पास आये है। मेरी व चन्द्रप्रकाश टीआई साहब की जो भी बातचीत हुई

वह डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गई है। श्री विक्रम सिंह कानि से पूछने पर उसने परिवादी के कथनों की ताईद की। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को परिवादी व कानिस्टेबल के समक्ष सुना तो रिश्वत मांग सत्यापन होना पाया गया। फर्द प्राप्ति डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर तैयार की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु परिवादी से कहा तो परिवादी ने निवेदन किया कि मुझे अभी आवश्यक कार्य है, मैं पांच बजे तक आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को मामले को गोपनीय रखने तथा समय पर उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत किया।समय 04.00PM पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद बारां के नाम पत्रांक 706 दिनांक 26.05.2026 जारी कर श्री दिनेश महावर कानि. 360 को सुपुर्द कर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया । समय 04.55PM पर श्री दिनेश महावर कानि. 360 मय दो स्वतंत्र गवाह श्री हमेश कुमार मीणा पुत्र श्री कमलेश मीणा उम्र 26 साल निवासी ग्राम झिडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी हाल कृषि अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद बारां मोबाईल नंबर व श्री देवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह यादव उम्र 25 साल निवासी अम्बेडकर भवन मण्डोला वार्ड शिव मन्दिर के पास बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद बारां मोबाईल नंबर उपस्थित आये तथा कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार का पत्रांक 908-10 दिनांक 26.05.2026 पेश किया। इसी दौरान परिवादी राजेन्द्र गोचर भी कार्यालय में उपस्थित आया। कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी राजेन्द्र गोचर द्वारा दिनांक 25.05.26 को पेश प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर हस्ताक्षर किये। दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनों ने कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति दी। समय 05.10PM पर परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर एवं आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश के मध्य दिनांक 26.05.2026 को प्रताप चौकी बारां पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नंबर 260526-1102 (19 मिनट 27 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8GB में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज चन्द्रप्रकाश टीआई की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री विक्रम सिंह कानिस्टेबल 23 से तैयार करवाई गई। समय 06.30PM पर परिवादी के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 27.05.26 को किया जाना तय हुआ। स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 27.05.26 प्रात 9.00AM पर उपस्थित आने तथा मामले को गोपनीय रखने की हिदायत कर रूकसत किया। चौकी के समस्त स्टाफ श्री जावेद अख्तर कानि० 25 हाल न्यायालय डयूटी को कल दिनांक 27.05.26 प्रात 9.00AM पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया। परिवादी को भी दिनांक 27.05.26 प्रात 9.00 AM पर मय रिश्वत राशि 7000 रूपये के उपस्थित आने तथा मामले को गोपनीय रखने तथा आरोपी का कोई भी फोन आने या संपर्क होने पर शीघ्र अवगत कराने की हिदायत कर रूकसत किया। दिनांक 27.05.2026 समय 09.00AM पर कार्यालय स्टाफ एवं श्री जावेद अख्तर कानि० 25 उपस्थित है। कार्यवाही के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये एवं परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर भी कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7000 रूपये लेकर आया हूं। परिवादी व गवाहान को कार्यालय में बैठाया गया। समय 09.15AM पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर पुत्र श्री कन्हैयालाल गुर्जर उम्र 29 साल निवासी सारोला तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी किराये का कमरा होण्डा शोरूम के पीछे विद्या कॉलोनी कोटा रोड बारां ने अपने पास से निकालकर बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7 हजार रूपये मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नंबर पृथक-पृथक निम्न प्रकार है- क्र.सं. नोटों का विवरण नोटों का नम्बर 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6LS 637606 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3MB 053706 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1FC 647729 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9MM 111125 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6HG 318431 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5EP 790320 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9HD 485072 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1CT 587979 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3PS 693168 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8VH 879718 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6TT 769705 12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8AH 509110 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8KV 306471 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1RD 287628 उक्त नंबरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो परिवादी द्वारा पेश रिश्वत राशि के नोट एवं फर्द में अंकित नोटो के नम्बरो का मिलाना हू ब हू होना बताया। तत्पश्चात श्री जावेद कानि0 25 से मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर परिवादी राजेन्द्र गोचर द्वारा दिये गये 7 हजार रूपये के नोटो को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर की तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री हमेश कुमार मीणा से लिवाई गई। परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 7 हजार

रूपये को परिवादी की पहनी शर्ट की सामने की बांयी जेब में श्री जावेद कानि० 25 से रखवाये गये। इसके बाद एक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री जावेद कानि० 25 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टान्त को गवाहान एवं परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटो को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को फिकवाकर जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार एवं प्रयोग में लिए गये डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री जावेद कानि० 25 से मालखाने में रखवाई गई। श्री जावेद कानि० 25 के हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशीयों, ढक्कन को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहों ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुये एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पडे तो दोनों हाथ जोडकर अभिवादन करे। साथ ही यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि लेकर कहां रखता है या छुपाता है। परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर को समझाया कि रिश्वत देने के बाद मेरे नम्बर पर कॉल कर अवगत कराये या सिर पर साफी बांधकर रिश्वत राशि लेन देन का ईशारा करें । डिजिटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर को दिया जाकर चालू व बन्द करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेन देन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। दोनों स्वतंत्र गवाहों व ट्रेप पार्टी को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। एसीबी स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई। ट्रेप टीम के पूरे स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये एवं कोई आपत्तिजनक वस्तु या राशि नहीं रहने दी गई। कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी ने बताया कि आरोपी मुझे फोन करके रिश्वत राशि लेने के लिए बुलायेगा तभी मैं उनके बताये स्थान पर जाउंगा। कार्यालय में आरोपी के फोन की प्रतीक्षा में मुकीम हुये। समय 10.34AM पर आरोपी की लोकेशन जानने के लिए परिवादी राजेन्द्र गोचर के मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल नंबर पर फोन करवाया तो आरोपी ने फोन नहीं उठाया। पुन कार्यालय में बैठकर आरोपी के फोन की प्रतीक्षा करने लगे। समय 06.00PM पर आरोपी का परिवादी राजेन्द्र गोचर के मोबाईल पर फोन नहीं आने से परिवादी ने अवगत कराया कि अब उनका फोन नहीं आयेगा। इस पर परिवादी राजेन्द्र गोचर के पास रखी रिश्वत राशि 7000 रूपये को एक लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया तथा परिवादी को दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी आरोपी से व्यक्तिगत या फोन से संपर्क हो तो मन उप अधीक्षक को अविलम्ब अवगत कराये। साथ ही दोनों स्वतंत्र गवाह व स्टाफ को हिदायत दी कि तलब करने पर अविलम्ब उपस्थित होवें। बाद हिदायत दोनों गवाह एवं परिवादी को रूकसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 29.05.2026 को समय 10.00AM पर परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया परिवादी ने अवगत कराया कि आज आरोपी चन्द्रप्रकाश का फोन आ सकता है। इस पर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया तथा दोनो गवाहन को जरिये फोन तलब करने पर समय 10.30AM पर स्वतंत्र गवाह कार्यालय मे उपस्थित आये जिन्हे होने वाली कार्यवाही के संबंध में अवगत करया गया तथा कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के साथ कार्यालय में आरोपी के फोन की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आरोपी का फोन नही आने पर समय 05.05PM पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी की लोकेशन जानने के लिए परिवादी राजेन्द्र गोचर के वाटसएप मोबाईल नंबर से आरोपी के वाटसएप मोबाईल नंबर पर फोन करवाया तो आरोपी ने फोन नहीं उठाया। पुन कार्यालय में बैठकर आरोपी के फोन की प्रतीक्षा करने लगे। आरोपी द्वारा फोन अटेण्ड नहीं करने पर समय 05.15PM पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी की पुन लोकेशन जानने के लिए परिवादी राजेन्द्र गोचर के वाटसएप मोबाईल नंबर 9079215377 से आरोपी के वाटसएप मोबाईल नंबर पर फोन करवाया तो आरोपी ने फोन उठाया तथा आरोपी ने कहीं मिशन पर चलने की बात कहकर बाद में फ्री होकर कॉल करने की कहा। पुन कार्यालय में बैठकर आरोपी के फोन की प्रतीक्षा करने लगे। आरोपी का फोन नही आने पर समय 07.58PM पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी की पुन लोकेशन जानने के लिए परिवादी राजेन्द्र गोचर के वाटसएप मोबाईल नंबर से आरोपी के वाटसएप मोबाईल नंबर पर फोन करवाया तो आरोपी ने फोन उठाया तथा परिवादी से वार्ता नहीं कर आरोपी के पास उपस्थित अन्य से वार्ता की आवाज आई। परिवादी ने कहा कि आज वो व्यस्त होने के कारण मुझे लगता है कि अब वो बात नहीं करेंगे। कल ही उनसे वार्ता हो सकेगी। इस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी आरोपी से व्यक्तिगत या फोन से संपर्क हो तो मन उप अधीक्षक को अविलम्ब अवगत कराये। साथ ही दोनों स्वतंत्र गवाह व स्टाफ को हिदायत दी कि तलब करने पर अविलम्ब उपस्थित होवें। बाद हिदायत दोनों गवाह एवं परिवादी को रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 30.05.2026 समय 12.33PM पर परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को

फोन कर बताया कि मेरे वाटसएप मोबाईल नंबर पर आरोपी के वाटसएप मोबाईल नंबर से फोन आया था तथा उन्होंने मुझे आने के लिए कहा। इस पर मैंने उनसे कहा कि मैं अभी बाहर हूं तो उन्होंने कहा कि शाम तक फोन कर लेना। इस पर परिवादी को शाम 7 बजे कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई, साथ ही दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं स्टाफ को भी जरिये मोबाईल शाम 7 बजे कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया। समय 07.00PM पर परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आज आरोपी चन्द्र प्रकाश बारां में ही है तथा वो मुझसे रिश्वत लेन देन के संबंध में बात कर सकते है। इसी दौरान तलविदा स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय का स्टाफ उपस्थित आया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा बताई जानकारी के संबंध में बताया गया। समय 07.29PM पर परिवादी के बताये अनुसार आरोपी की लोकेशन जानने के लिए परिवादी के वाट्सएप मोबाईल नंबर से आरोपी के वाट्सएप मोबाईल नंबर पर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने फोन अटेण्ड कर कहा कि अभी मैं बिजी हूं। तुझे बता दूंगा फ्री होउंगा जब। वार्ता अनुसार आरोपी के कॉल के इन्तजार में मुकीम हुए। समय 10.00PM तक आरोपी का कॉल परिवादी के पास नहीं आने पर परिवादी ने कहा कि अब उनका कॉल नहीं आयेगा। अब कल ही उनकी जानकारी कर रिश्वत लेन देन के लिए जाना सही रहेगा। परिवादी के बताये अनुसार तथा कॉल नहीं आने से आज कार्यवाही होना संभव नहीं है। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी का फोन आने या संपर्क होने पर अविलम्ब अवगत करावें। दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि तलब करने पर अविलम्ब उपस्थित होवे। बाद हिदायत परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को रूकसत किया गया। कार्यालय स्टाफ को प्रात 09.30AM पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 31.05.2026 को समय 09.30AM पर पूर्व के पाबन्दशुदा कार्यालय स्टाफ उपस्थित कार्यालय आया। ट्रेप बॉक्स लेपटॉप प्रिन्टर, डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड केडीएम 8GB प्राईवेट वाहन में रखवाये गये तथा रिश्वत राशि का लिफाफा गाडी के डेस्क बोर्ड में श्री दुर्गेश चौधरी कानि० 34 से रखवाया गया। इसके बाद श्री दुर्गेश चौधरी कानि० एवं टीम के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। समय 10.11AM पर परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर ने फोन कर मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि अभी आते समय रास्ते में एफसीआई गोदाम के सामने चन्द्रप्रकाश टीआई साहब मिल गये उन्होंने मुझसे रिश्वत राशि 7000 रूपये की मांग की। मैंने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ समय में लेकर आता हूं। उन्होंने कहा कि अभी मैं यहीं पर हूं, जल्दी लेकर आओ। परिवादी द्वारा बताये अनुसार अविलम्ब ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना आवश्यक है। यातायात प्रभारी का कार्यालय एवं एसीबी का कार्यालय पास पास होने से गोपनीयता रखने एवं ट्रेप कार्यवाही के सफल आयोजन हेतु दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को सुमेरू बिल्डिंग कोटा रोड बारां के पास अविलम्ब उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया। तत्पश्चात निजी मोटरसाईकिलो से श्री बबलेश कुमार कानि० 261, श्री दिनेश महावर कानि० 360, श्री विक्रम कानि० 23 तथा श्री दुर्गेश चौधरी कानि० 34 को सदर थाने के सामने सुमेरू बिल्डिंग के पास उपस्थित मिलने की हिदायत दी जाकर रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड एवं आवश्यक सामानों के श्री ज्ञानचन्द सउनि के रवाना हुये। समय 10.30AM पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय प्राईवेट वाहन के सुमेरू बिल्डिंग के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचा जहां परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित मिले। कार्यालय स्टाफ भी उपस्थित आया। डीवीआर में नया मेमोरी कार्ड डालकर परिवादी को चालू व बन्द करने का तरीका समझाया तथा उसमें लेन देन की वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत कर सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात श्री दुर्गेश चौधरी कानि० 34 से प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखे रिश्वत राशि के लिफाफे को मंगवाकर रिश्वत राशि परिवादी की शर्ट की सामने की बांयी जेब में श्री दुर्गेश चौधरी कानि० से रखवाई गई। परिवादी को रिश्वत राशि को अनावश्यक नहीं छूने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने पर सिर पर साफी बांधकर रिश्वत राशि लेने का ईशारा करने की हिदायत दी। इसके बाद लिफाफे को जला कर नष्ट करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान व स्टाफ से समझाईश की गई कि अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन देन देखने का प्रयास करें। श्री दुर्गेश चौधरी कानि०,स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी स्टाफ के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। समयाभाव के कारण फर्द सुपुर्दगी तैयार नहीं की जा सकी। समय 10.43AM पर परिवादी को दिया गया डीवीआर चालू कर उसकी निजी मोटर साईकिल से एफसीआई गोदाम के पास कोटा रोड बारां रवाना किया। परिवादी के पीछे पीछे निजी मोटर साईकिल से श्री बबलेश कुमार कानि० 261 एवं स्वतंत्र गवाह श्री हमेश कुमार को रवाना किया। दूसरी निजी मोटर साईकिल से श्री दिनेश महावर कानि० 360 एवं स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह को रवाना किया। तीसरी निजी मोटर साईकिल से श्री विक्रम सिंह कानि० को रवाना किया गया। तत्पश्चात मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय श्री ज्ञानचन्द सउनि के ट्रेप उपकरणों के साथ प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु एफसीआई गोदाम के पास कोटा रोड बारां के लिए रवाना हुआ। श्री दुर्गेश कानि० को अग्रिम आदेश तक सुमेरू बिल्डिंग के पास रहने की हिदायत दी। समय 10.50AM पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय श्री ज्ञानचन्द सउनि के एफसीआई गोदाम के पास कोटा रोड बारां पहुंचा जहां पर स्वतंत्र गवाहान एवं स्टाफ भी निजी मोटर साईकिलों से पहुंचे। इसी दौरान परिवादी एक उप निरीक्षक की वर्दी पहने व्यक्ति से जाकर मिला तथा पास ही स्थित जय श्री महाकाल जूस सेन्टर में चले गये। समय 11.02AM पर परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर ने पुर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर साफी बांधकर करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के एफसीआई गोदाम के सामने गन्ने की दुकान जय श्री महाकाल जूस सेन्टर के पास खडे परिवादी राजेन्द्र

गोचर के पास पहुंचा। परिवादी राजेन्द्र गोचर से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी राजेन्द्र गोचर ने एक व्यक्ति जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई की तरफ ईशारा कर बताया कि यही चन्द्रप्रकाश ट्रेफिक इंचार्ज है इन्होनें मुझसे रिश्वत राशि 7000 रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखी है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने नाम व पद का परिचय देकर उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री डालूराम बैरवा निवासी छोटा सोगरिया गणेश जी की गली कोटा हाल उप निरीक्षक पुलिस प्रभारी यातायात शाखा बारां होना बताया। जिससे परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर से रिश्वत राशि 7000 रूपये लेने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी चन्द्रप्रकाश ने बताया कि मैंने राजेन्द्र गोचर से रिश्वत राशि नही ली है इसने मेरी जेब में जबरदस्ती रख दी है जो मेरी पेन्ट की बांयी जेब में रखी है। समय 11.10AM पर रिश्वत प्राप्ति स्थान आम रोड होने, आसपास अचानक भीड इकट्ठी होने से तथा कार्यवाही के लिए रोड के किनारे उचित स्थान नही होने से आरोपी चन्द्रप्रकाश को यथास्थिति में प्राईवेट वाहन में बैठाया तथा स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं एसीबी जाप्ता को अपने-अपने वाहनों से अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना बारां सदर पहुंचने की हिदायत कर प्राईवेट वाहन से मय आरोपी मय श्री ज्ञानचन्द सउनि, श्री बबलेश कुमार कानि के सदर थाना बारां रवाना हुआ। थानाधिकारी थाना सदर बारां श्री नवल किशोर पुलिस निरीक्षक से जरिये फोन थाना भवन में अग्रिम कार्यवाही की अनुमति प्राप्त की गई । श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां को कार्यवाही के संबंध में अवगत कराते हुए आरोपी के कोटा, सोगरिया स्थित आवास की खानातलाशी करवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 11.15 AM पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी मय श्री ज्ञानचन्द सउनि, श्री बबलेश कुमार कानि के सदर थाना बारां पहुंचा जहां पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता भी उपस्थित आया। थाने के कम्प्यूटर कक्ष में आरोपी को बैठाया गया। श्री दुर्गेश चौधरी कानि0 34 को वीडियो रिकॉर्डिंग हेतु थाने पर तलब किया गया। सरकारी सेमसंग मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड 32GB सेन डिस्क डलवाकर विडियोग्राफी शुरू करवाई जाकर बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कम्प्यूटर रूम में रखे पानी के केम्पर में से एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर श्री दिनेश महावर कानि0 360 से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। गिलास का घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। तत्पश्चात इस घोल के गिलास में आरोपी चन्द्रप्रकाश के बांये हाथ के अंगूठे व अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शीशियों पर मार्क एल. एच.-1, एल.एच.-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात श्री दिनेश महावर कानि0 360 से दूसरे साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। गिलास का घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। गिलास के घोल में आरोपी चन्द्रप्रकाश के दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिसे साफ कांच की दो शीशियों में आधा-आधा भरवाकर कर सीलचिट मोहर किया गया। शीशियों पर मार्क आर. एच.-1 आर.एच.-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह यादव से लिवाई गई तो आरोपी चन्द्रप्रकाश की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से पांच पांच सौ रूपये के 14 नोट निकले जिनको दोनो स्वतन्त्र गवाहान से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाया गया। बरामद रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7000/-रूपये को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके बाद आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की दूसरी जेब की तलाशी में एक मोबाईल नथिंग कम्पनी का दो सिम वाला मिला जिसके पासवर्ड 5008 द्वारा मोबाईल का लॉक खोलने पर आईएमईआई नम्बर व है तथा मोबाईल नम्बर की सिम डली हुई है। आरोपी के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर वार्ता हुई है इसलिये मोबाईल कार्यवाही में वांछित होने से आरोपी के मोबाईल को वजह सबूज कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके बाद आरोपी चन्द्रप्रकाश की पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब की धुलाई आवश्यक होने से चन्द्रप्रकाश की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट (खाकी कलर) को मर्यादापूर्वक खुलवाकर, पजामा मंगवाकर, आरोपी को पहनाया गया। तत्पश्चात आरोपी चन्द्रप्रकाश की पेन्ट की बांयी जेब की धुलाई हेतु एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी की पेन्ट की बांयी साईड की जेब जिससे रिश्वत राशि 7000 रूपये बरामद हुई थी को उलटवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शीशियों पर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी की पेन्ट को पंखे की हवा में सुखाने के लिए रखा गया। आरोपी चन्द्रप्रकाश से बरामद रिश्वत राशि 7000 के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि इसने कहा था कि मेरे ट्रेक्टर चलेंगे और मेरे टे्रक्टर को पास कराना है। हम जूस पी रहे थे तो राजेन्द्र ने पैसे मेरी जेब में रख दिये, मुझे पता ही नही लगा सर। मैं तो

ट्रक हटवा रहा था इसने मुझे जूस पीने के बहाने रोका था। मैंने इससे कोई पैसे नही मांगे। इस पर परिवादी ने आरोपी के कथन का खण्डन करते हुए बताया ये झूठ बोल रहे है इन्होने पहले मेरा ट्रेक्टर पकडा था तब सत्ताईस हजार रूपये लेकर छोड दिया तथा दस हजार रूपये और मांगे। मैंने पैर पकडकर निवेदन किया फिर इन्होने कहा कि ऑफिस में आजा। इस पर मैं इनके ऑफिस में जाकर इनके फोन लगाया तो इन्होने कहा मैं कोटा निकल गया, एक दो दिन बाद कॉल करूंगा। इसके बाद में दिनांक 26.05.2026 को इनके पास गया तो इन्होने मुझसे 10 हजार रूपये मासिक बंधी के मांगे थे तथा मेरे निवेदन करने पर 7 हजार रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हुये थे। इस पर आरोपी से पुनः पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नही ली इसने मेरी जेब में रखे है। मैंने नही मागें यही पीछे पड रहा था। मैंने पैसे नही लिये यह गलत कह रहा है । तत्पश्चात आरोपी की तलाशी खाकी कलर की पेन्ट जो सुखाने के लिए रखी थी को सूखने पर पेन्ट की बांयी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक कपडे की थैली में रखकर सीलकर सीलचिट मोहर किया जाकर मार्क पी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। बरामदगी कार्यवाही की विधी प्रावधान अनुसार विडियो रिकॉर्डिंग श्री दुर्गेश चौधरी कानि0 34 के द्वारा सरकारी मोबाईल सेमसंग में नया मेमोरी कार्ड 32 GB Sandisk का डालकर करवाई गई। समय 12.20PM पर थाने में राजकार्य प्रभावित होने से बाद हाथ धुलाई कार्यवाही अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, जप्तशुदा आर्टीकल्स मय रिश्वत राशि मय डीवीआर के प्राईवेट वाहन एवं साथ लाये वाहनों से एसीबी कार्यालय बारां रवाना होकर समय 12.30PM पर एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा जहां पर जप्तशुदा आर्टीकल्स धोवन सेम्पल, रिश्वत राशि का लिफाफा, पेन्ट का पैकिट को जमा मालखाना कराया। आरोपी को जाप्ते की निगरानी में बैठाया तथा फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.00PM पर परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर के वाट्सअप मोबाईल नंबर से आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश के वाट्सअप मोबाईल नंबर पर दिनांक 29.05.2026 को समय 05.15PM पर हुई रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता प्रथम की फाईल नंबर 260529_1715 (26 Second) जो डीवीआर के मेमोरी कार्ड केडीएम 8GB में रिकॉर्ड थी को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में श्री विक्रमसिंह कानि० २३ से लगवाकर स्पीकर ऑन कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी चन्द्रप्रकाश उप निरीक्षक प्रभारी यातायात शाखा बारां की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री विक्रम सिंह कानि० २३ से टाईप करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। समय 02.20PM पर परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर के वाट्सअप मोबाईल नंबर से आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश के वाट्सअप मोबाईल नंबर पर दिनांक 30.05.2026 को समय 07.29 PM पर हुई रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता द्वितीय की फाईल नंबर 260530_1929 (16 Second) जो डीवीआर के मेमोरी कार्ड केडीएम 8GB में रिकॉर्ड थी को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में श्री विक्रमसिंह कानि० 23 से लगवाकर स्पीकर ऑन कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी चन्द्रप्रकाश उप निरीक्षक प्रभारी यातायात शाखा बारां की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री विक्रम सिंह कानि० 23 से टाईप करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। समय 02.40PM पर परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर एवं आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश के मध्य दिनांक 31.05.2026 को कोटा रोड बारां पर एफसीआई गोदाम के पास जय श्री महाकाल जूस सेन्टर बारां में हुई रिश्वत लेन देन वार्ता की फाईल नंबर 260531_1043 (19 मिनट 32 सैकण्ड) जो डीवीआर के मेमोरी कार्ड केडीएम 8GB में रिकॉर्ड थी को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में श्री विक्रमसिंह कानि० 23 से लगवाकर स्पीकर ऑन कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी चन्द्रप्रकाश उप निरीक्षक प्रभारी यातायात शाखा बारां की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री विक्रम सिंह कानि० 23 से टाईप करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। समय 04.00PM पर आरोपी चन्द्रप्रकाश को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना धारा 47(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दो नोटिस तैयार किये गये। दोनों नोटिसों पर आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात एक प्रति आरोपी को दी जाकर दूसरी प्रति पर आरोपी से प्राप्ति नोट डलवाकर नीचे हस्ताक्षर करवाकर नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 04.30 PM पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता श्री उमाशंकर हैडकानि श्री दिनेश महावर कानि श्री दुर्गेश चौधरी कानि एवं परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर के घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करने एवं आरोपी के सरकारी आवास पुलिस लाईन बारां की खानातलाशी हेतु मय सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर समय 04.45 PM पर घटनास्थल एफसीआई गोदाम के सामने जय श्री महाकाल जूस सेन्टर कोटा रोड बारां पहुंचा जहां पर फरियादी की निशादेही से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल तैयार किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.30PM पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के मय सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी के सरकारी निवास स्थान सरकारी आवास पुलिस लाईन बारां की खानातलाशी लेने हेतु रवाना होकर समय 05.40PM पर आरोपी के सरकारी आवास पुलिस लाईन बारां पहुंचा जहां पर स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी के समक्ष सरकारी आवास की नियमानुसार खानातलाशी ली जाकर फर्द खानातलाशी मुर्तिब कर समय 06.45PM पर वापस एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा। आरोपी को जाप्ते की निगरानी में बैठाया गया। समय

06.50PM पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस श्री चन्द्रप्रकाश उप निरीक्षक प्रभारी यातायात शाखा बारां को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर से दिनांक 26.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 7000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है तथा दिनांक 31.05.2026 को रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान 7000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया है। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवश्यकता है। अतः आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। इस पर आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश उप निरीक्षक ने नोटिस पर " मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं" अंकित कर हस्ताक्षर किये। समय 07.15PM पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश हाल उप निरीक्षक प्रभारी यातायात शाखा बारां को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस द्वारा संवैधानिक अधिकारों एवं अपराध के संबंध में अवगत कराने के उपरान्त नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी मय चैक लिस्ट विधिवत गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी, चैक लिस्ट एवं आरोपी के पास से प्राप्त धारा 47(1) BNSS 2023 के नोटिस की प्रति को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 07.40PM पर परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर एवं स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 26.05.2026 को परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर व आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नंबर 260526-1102 (19 Minuts 27 Second) , दिनांक 29.05.2026 को परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर व आरोपी चन्द्रप्रकाश के मध्य हुई लेन देन प्रयास वाटसएप वार्ता प्रथम की फाईल नंबर 260529-1715 (26 Second), दिनांक 30.05.2026 को परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर व आरोपी चन्द्रप्रकाश के मध्य हुई लेन देन प्रयास वाटसएप वार्ता द्वितीय की फाईल नंबर 260530-1929 (16 Second), एवं दिनांक 31.05.2026 को परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर व आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता फाईल नंबर 260531-1043 (19 Minuts 32 Second), जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे 02 मूल मैमोरी कार्ड में सेव है को श्री विक्रम सिंह कानि0 23 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 03 पेन ड्राईव KDM 8GB के तैयार करवाये गये। जिसमें से एक पेन ड्राईव वजह सबूत नमूना आवाज कार्यवाही के लिए, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलियों में पृथक-पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। रिश्वत राशि सत्यापन वार्ता, लेन देन प्रयास वाटसएप वार्ता प्रथम, द्वितीय जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड (KDM 8GB) में रिकॉर्ड की गई थी तथा रिश्वत लेन देन वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे दूसरे मूल मेमोरी कार्ड (KDM 8GB) में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त दोनों मेमोरी कार्डों को वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक-पृथक कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द बरामदगी के समय आरोपी की हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि जप्ति के दौरान श्री दुर्गेश चौधरी कानि 34 द्वारा सरकारी मोबाईल के मेमोरी कार्ड (Sandisk 32GB) में वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को मय मेमोरी कार्ड लेपटॉप में जोड़कर एक पेन ड्राईव 08 GB KDM तैयार करवाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग के मूल मेमोरी कार्ड को माननीय न्यायालय के लिए कपडे़ की थैली में रखकर विवरण अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर किया गया। अनुसंधान अधिकारी के लिए एक पेन ड्राईव खुला रखा गया। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड एवं तैयारशुदा पेन ड्राईवों की हैश वैल्यू की गणना MD5 एवं SHA1 में कर प्रिन्ट निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा सीलशुदा आर्टीकल्स मेमोरी कार्डों एवं पेन ड्राईवों को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर व दोनों स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही सकुशल रूकसत किया गया। इस प्रकार अब तक की संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि परिवादी श्री राजेन्द्र गोचर ने दिनांक 25-05-26 को एसीबी कार्यालय बारां में उपस्थित होकर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं ग्राम सारोला तहसील सांगोद जिला कोटा का रहने वाला हूं तथा वर्तमान में बारां में होण्डा शोरूम के पीछे विद्या कॉलोनी कोटा रोड बारां में किराये से रहता हूं। मैं ट्रेक्टर से बजरी परिवहन व किराये आदि का कार्य करता हूं। मैं 2-3 दिन पहले मांगरोल से बारां बजरी लेकर आ रहा था। रास्ते में मेरा ट्रेक्टर खराब हो गया । इसी दौरान श्री चन्द्रप्रकाश टीआई साहब आये और ट्रेक्टर को जप्त करने की धमकी देकर तुरन्त रिश्वत की मांग कर 27000 रूपये मुझसे लेकर मेरा ट्रेक्टर छोड दिया तथा अब मेरे ट्रेक्टर को बेरोकटोक चलाने के बदले 10000 रूपये की बंधी मांग रहे है, नहीं देने पर ट्रेक्टर को जप्त करने की धमकी दे रहे है। दिनांक 24.05.26 को 7.30 PM पर मोबाईल नंबर से फोन कर रिश्वत राशि की मांग की तथा ट्राफिक कार्यालय में बुलाया है। मैं टीआई साहब चन्द्रप्रकाश को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं बल्कि उन्हें रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी चन्द्रप्रकाश जी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमारे बीच में कोई उधारी का लेन देन शेष है। कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिनांक 26.05.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा उसके ट्रेक्टर के निर्बाध संचालन करने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में 10000 रूपये की मांग की। परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 7000 रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत हुआ जिसकी पुष्टि फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से होती है। बाद रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31-05-2026 को ट्रेप

कार्यवाही का आयोजन किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि 7000 रूपये प्राप्त करने के बाद आरोपी ने परिवादी से पूछा कितने है, परिवादी ने कहा सात हजार है, परिवादी ने कहा कि अब मेरे ट्रेक्टर का ध्यान रखना, इस पर आरोपी ने कहा कि तुम तो निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, जिसकी पुष्टि फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता से होती है। वार्ता के दौरान आरोपी ने रिश्वत राशि 7000 रूपये परिवादी का ट्रेक्टर के निर्बाध संचालन करने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी साईड की जेब में रखी जो बरामदगी कार्यवाही के दौरान आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से बरामद हुई। आरोपी के बांये हाथ का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, दाहिने हाथ का धोवन मटमैला प्राप्त हुआ तथा आरोपी की पेन्ट की बांयी जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी की पेन्ट को बतौर बजह सबूत जप्त किया गया। जिसकी पुष्टि फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई एवं विडियोग्राफी से होती है। आरोपी को धारा 47(1)BNSS 2023 का नोटिस नियमानुसार दिया गया। आरोपी को नमूना आवाज नोटिस दिया गया जिसमें आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इंकार किया। आरोपी को नियमानुसार जुर्म से आगाह कर उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) जर्ये फर्द एवं चैक लिस्ट अनुसार गिरफ्तार किया गया। दिनांक 26.05.26 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, एवं दिनांक 29.05.2026 व 30.05.2026 को परिवादी व आरोपी के मध्य वाटसअप मोबाईल कॉलिंग वार्ताए एवं दिनांक 31.05.2026 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड से पेन ड्राईव प्रतिलिपिकरण की कार्यवाही कर हेश वेल्यू निकालकर फर्द प्रतिलिपिकरण तैयार की गई। अत संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही, दिनांक 26-05-26 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता,दिनांक 29-05-2026 एवं 30-05-2026 को हुई वाटसएप कॉल वार्ताए तथा दिनांक 31-05-2026 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता से, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई से, धारा 47(1) BNSS 2023 नोटिस से, नोटिस नमूना आवाज, फर्द गिरफ्तारी मय चैक लिस्ट एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री डालूराम बैरवा उम्र 42 साल निवासी छोटा सोगरिया गणेश जी की गली (लश्करी मोहल्ला) तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल उप निरीक्षक पुलिस प्रभारी यातायात शाखा बारां के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांरा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री डालूराम बैरवा उम्र 42 साल निवासी छोटा सोगरिया गणेश जी की गली (लश्करी मोहल्ला) तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी यातायात शाखा, बारां के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 29 पर अंकित है। (सुनिल सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 889-92 दिनांक 02.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां 2- महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DR PRERNA SHEKHAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/06/2026 18:26:34

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)